डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान सीताराम बनाम तमाकूमल वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 58/2023

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 48 व 28 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर मुताबिक वयनामा दिनांक 17.07.1968 अनुसार हिस्सा 1/4 पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। तथा शेष हिस्सा 3/4 के इन्द्राजात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रहेंगे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम होतूमल के स्थान पर होतीलाल शुद्ध किया जाता है। तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 20/01/25

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested

1. सीताराम पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. फत्तेसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. कलुआसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. तमाकूमल पुत्र होतूमल जाति सिंधी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

— प्रतिवादीगण

20/1/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 58/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/125
किस्म दावा 88.89.188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.01.2025

1. सीताराम पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. फत्तेसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. कलुआसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर। — वादीगण

बनाम

1. तमाकूमल पुत्र होतूमल जाति सिंधी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

— प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह सिनसिनवार एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित आराजी हाल एवं गत खसरा नंबरान का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

हाल ख0नं0 संवत 2060 गत ख0 नं0 संवत 2028 गत ख0नं02028 से पूर्व
48 रकबा 0.65 है. 34 रकबा 2 बीघा 11 बि. 30 रकबा
28 कबा 0.22है. 24 रकबा 17 बि. 21 रकबा

उपरोक्त आराजी वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई में स्थित है व
इन्द्राजात गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज रिकार्ड आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

2\. यह कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नंबर 30 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व 21 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के पिता भूरीसिंह पुत्र बोदन वाहिस्सा 3/4 , रामजी पुत्र रामस्वरूप ने जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.07.1968 को 2000 रूपए में बतौर गैर खातेदार खरीद किया गया था। तभी से वादीगण ने अपने उक्त आराजी हिस्सा 1/4 पर काबिज होकर काश्त चले आ रहे हैं। बाद में प्रतिवादी संख्या 1 ने खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिए। इस प्रकार वादीगण को अब प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है। लिहाजा अब वादीगण हाल आराजी खसरा नंबरान वाके पहरसर हिस्सा 1/4 पर वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात वादीगण के 1/4 हिस्से तक काबिल कमलजन के है। शेष इन्द्राजात बकाया हिस्सा 3/4 के बदस्तूर कायम रहे व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होतूमल के स्थान पर होतीलाल जो दर्ज किया है। वह काबिल दुरूस्ती के है।

3\. यह कि वादीगण उपरोक्त आराजी पर हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर काबिज काश्त हैं। परन्तु प्रति संख्या 1 ने वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी गई। अतः उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी लिहाजा खिलाफ वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी है। अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी वाके. ग्राम पहरसर पर मुताबिक वयनामा दिनांक 17.07.1968 हिस्सा 1/4 पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा उक्त हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। शेष हिस्सा 3/4 के इन्द्राजात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर कायम रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। परन्तु जरिए नोटिस तामील न होने पर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए अखबार साया से कराई गई। प्रतिवादीगण की तामील मानते

20/1/25

हुए इनके खिलाफ दिनांक 27.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम पहरसर, एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम पहरसर, नकल जमाबंदी संवत 2014 वाके ग्राम पहरसर, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028, नकल वयनामा दिनांक 17.07.1968 पेश किया गया। तथा मौखिक बयान के रूप में शपथ पत्र फत्तेसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर पेश किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम पहरसर पर आराजी खसरा नंबर 28 व 48 पर तमाकीमल पुत्र होतीलाल हिस्सा पूर्ण जाति सिंधी निवासी पहरसर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है। हाल आराजी के संवत 2028 के साबिक खसरा नंबर 24 व 34 एवं संवत 2028 से पूर्व के खसरा नंबर 30 व 21 बने हैं। जो हाल एवं गत खसरा नम्बरान का मिलान हो रहा है। आराजी के साबिक खसरा नंबर 30 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व 21 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के पिता भूरीसिंह पुत्र बोदन वाहिस्सा 3/4 , रामजी पुत्र रामस्वरूप ने जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.07.1968 को 2000 रूपए में बतौर गैर खातेदार खरीद किया गया था। जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनांक 17.07.1968 से साबित है। उक्त आराजी पर तभी से वादीगण ने अपने उक्त आराजी हिस्सा 1/4 पर काबिज होकर काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण को अब प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर ट्रांसफर ऑफ पार्टी एक्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जो कि वाद की ताहीद करता है। वादीगण हाल आराजी खसरा नंबरान वाके पहरसर हिस्सा 1/4 पर वाहिस्सा बतौर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात वादीगण के 1/4 हिस्से तक काबिल कमलजन के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनु
स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खस
ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर मुताबिक वयना
अनुसार हिस्सा 1/4 पर वादीगण को वाहिस्सा बर
घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से तक प्रतिव
कलमजन किया जाता है। तथा शेष हिस्सा 3/4
संख्या 1 के नाम बदस्तूर रहेंगे एवं प्रतिवादी संख्या
होतूमल के स्थान पर होतीलाल शुद्ध किया जाता
रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.1.25 को खुले
जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल

गंगा
सहायक
नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dha
Meena
Date: 2025.06.23 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not V

Digitally signed by C
Meena
Date: 2025.06.23 1
Reason: SelfAtteste

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 48 व 28 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर मुताबिक वयनामा दिनांक 17.07.1968 अनुसार हिस्सा 1/4 पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। तथा शेष हिस्सा 3/4 के इन्द्राजात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रहेंगे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम होतूमल के स्थान पर होतीलाल शुद्ध किया जाता है। तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.1.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज०

सत्यमेव जयते

20/1/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)

सहायक कलेक्टर नदबई

नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested